

**बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग**

पत्रांक:- बाढ़(मो0)सिं0-18/2009 अंश-1 - 2953

पटना, दिनांक- 07.06.2015

-: संकल्प :-

विषय:- वर्ष 2025 बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नदियों पर तटबंधों/अन्य आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा के निमित्त स्थल पदाधिकारियों को परामर्श प्रदान करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन के सम्बन्ध में।

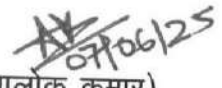
1. विगत वर्ष के भांति बाढ़ के दौरान आक्राम्य की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँच कर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप का निर्धारण कर कटाव स्थलों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। इस दृष्टिकोण से 'बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003' (संशोधित नियमावली 2017) लागू है जिसके अधीन बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के प्रबोधन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों की भूमिका परिभाषित है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन हेतु परिचालित मानक संचालक प्रक्रिया एवं समय-समय पर कार्यालय आदेश के तहत भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु निदेश निर्गत किये जाते हैं।
2. बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के प्रबोधन में अनुभव की अहम् भूमिका रही है। अतः क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के सम्पादन में परामर्श देने के निमित्त सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निम्न रूपेण नदी बेसिनवार/मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रवार 13 (तेरह) अदद बाढ़ संघर्षात्मक बलों के लिए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है।

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का नाम (अध्यक्ष बाढ़ संघर्षात्मक बल)	कार्य क्षेत्र	मुख्यालय
1	2	3	4	5
1.	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार	श्री गोपाल चन्द्र मिश्र, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, मो0-7739618238	बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर के कार्यक्षेत्र।	भागलपुर
2.		श्री विनय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मो0-7667214492	महानन्दा बाढ़ नि0 अंचल, कटिहार तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया का कार्यक्षेत्र	कटिहार
3.	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	श्री महेश प्रसाद ठाकुर सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, मो0-9470645040	कोशी बराज अंचल, वीरपुर का कार्यक्षेत्र (नेपाल प्रभाग)।	वीरपुर
4.		श्री सहजानन्द सिंह सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, मो0-9430963825	पूर्वी कोशी तटबंध का कार्यक्षेत्र।	भपटियाही/ वीरपुर
5.		श्री विष्णुकान्त पाठक, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, मो0-7011961887	पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली का कार्यक्षेत्र	निर्मली
6.	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर	श्री देवेन्द्र झा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, मो0-9431425499	बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा के कार्यक्षेत्र	दरभंगा
7.		श्री सत्यजीत, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, मो0-7903679761	बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर एवं बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया का कार्यक्षेत्र	बेगूसराय
8.	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	श्री अशोक कुमार केशरी सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, मो0-9934791988	गंडक बराज अंचल, बाल्मीकिनगर तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी का कार्यक्षेत्र	मोतिहारी
9.		श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मो0-9102004455	बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मुजफ्फरपुर का कार्यक्षेत्र	मुजफ्फरपुर
10.	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज	श्री नवल किशोर सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, मो0-9336129059	बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज के कार्यक्षेत्र	गोपालगंज
11.		श्री अब्दुल हमीद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता 9661072786	बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना के कार्यक्षेत्र	
12.	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी	श्री किशोर कुमार, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, मो0-8986184798	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना एवं बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र।	पटना
13.		श्री लक्ष्मण झा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, मो0-9430253423	बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर एवं सोन बराज अंचल, डिहरी के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र।	आरा

3. समिति के लिये निर्धारित विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है :-
- (i) आक्राम्य स्थलों/आक्राम्य यांत्रिक अव्ययों की पहचान कर इनकी सुरक्षा हेतु तुरंत परामर्श प्रदान करना।
 - (ii) बाढ़ सामग्रियों/ यांत्रिक कार्यों से संबंधित आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता का आकलन एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सामग्रियों के प्रबंधन हेतु परामर्श प्रदान करना।
 - (iii) अतिसंवेदनशील स्थलों पर कम से कम समय में पहुँचकर बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप निर्धारण में परामर्श प्रदान करना।
 - (iv) स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन सीधे केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना एवं संबंधित मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराना।
4. मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ संघर्षात्मक बल के लिए सदस्य के रूप में एक कार्यपालक अभियंता, एक सहायक अभियंता (डिग्रीधारी) एवं दो कनीय अभियंता को मनोनीत करेंगे।
5. जिला प्रशासन एवं विभागीय अभियंताओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक बल हेतु एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।
6. उपरोक्त बाढ़ संघर्षात्मक अध्यक्षाओं के परामर्श का यह अर्थ नहीं होगा कि संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जायेंगे। उनकी जबाबदेही यथावत रहेगी। बाढ़ संघर्षात्मक बल मूलतः परामर्श प्रदान करने के दृष्टिकोण से गठित किया गया है। बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 (संशोधित नियमावली 2017) एवं अन्य विभागीय अनुदेशों के आलोक में आक्राम्य स्थलों की पहचान करना, उनपर निगरानी रखना, आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन कराना, बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अतिसंवेदनशील स्थलों पर कम से कम समय में पहुँचकर कार्यों के स्वरूप को निर्धारण करना, स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का कार्य स्थल पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है एवं इसका वहन उनके द्वारा किया जाता रहेगा।
7. बाढ़ संघर्षात्मक बल के आवासन, परिवहन इत्यादि की व्यवस्था संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी।
8. बाढ़ संघर्षात्मक बल बाढ़ अवधि में (31 अक्टूबर तक) अपने-अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
9. समिति के अध्यक्ष (सेवा निवृत्त) को देय मानदेय संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
10. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आलोक कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापांक:- बाढ़(मो0)सिं0-18/2009 अंश-। - 2953

पटना, दिनांक:- 07.06.2025

प्रतिलिपि- राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ C.D. की प्रति सहित प्रेषित।


(आलोक कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापांक:- बाढ़(मो0)सिं0-18/2009 अंश-1-2953

पटना, दिनांक:- 07.06.2025

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि जिला प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्रत्येक बाढ़ संघर्षात्मक बल के लिए एक-एक राजपत्रित पदाधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाय।

AX
07/06/25
(आलोक कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांक-बाढ़ (मो0)सिं0-18/2009-अंश-1-2953

दिनांक- 07.06.2025

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

AX
07/06/25
(आलोक कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)